न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—898 / 2020(जीसीएमएस नं. 2020 / 00781)

01. जितेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र स्व. श्री रामनारायण मिश्रा, जाति ब्राहाम्ण उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम गोनेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

01. श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री भंवर लाल पुत्री श्री गोविन्दनारायण, जाति बागड़ा ब्राहम्ण निवासी मकान नम्बर 96, शिव कॉलोनी बरकत नगर, टोंक रोड़, जयपुर, राजस्थान।
02. श्रीमती छोटा पत्नी श्री कल्याण नारायण शर्मा पुत्री श्री गोविन्दनारायण, जाति बागड़ा ब्राहाम्ण, निवासी मकान नम्बर 150 / 6, शिव कॉलोनी किसान मार्ग, बरकत नगर टोंक रोड़, जयपुर, राजस्थान।
03. श्रीमती ममता पत्नी श्री मोहनलाल शर्मा पुत्री श्री गोविन्दनारायण, जाति बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी बोहरों की ढाणी नांगल पुरोहितान, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
04. श्रीमती लाली पत्नी श्री बाबूलाल शर्मा पुत्री श्री गोविन्दनारायण, जाति बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी बोहरों की ढाणी, नांगल पुरोहितान, तहसील आमेर जिला जयपुर, राजस्थान।
05. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील कार्यालय सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट्स

06. रमेश पुत्र श्री गोविन्दनारायण,
07. कैलाश पुत्र श्री बोदीलाल,
08. अविनाश पुत्र श्री बोदीलाल,
09. श्रीमती सुरज्ञानी देवी पत्नी श्री बोदीलाल समस्त जाति बागडा ब्राहाम्ण निवासीगण गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान

——तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

अपील सख्याः—919 / 2020(जीसीएमएस नं. 2020 / 00879)

01. एस.वी.एम. रियल्टी प्रा.लि. जरिये डायरेक्टर रविन्द्र मांघीराम अग्रवाल पुत्र श्री माघीराम, जाति महाजन, ऑफिस 50, नवरंगपुर, हिन्दू कॉलोनी, अहमदाबाद, गुजरात।

——अपीलान्ट

बनाम

01. श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री गोविन्दनारायण, पत्नी श्री भंवर लाल जाति बागड़ा ब्राहम्ण निवासी मकान नम्बर 96, शिव कॉलोनी बरकत नगर, टोंक रोड़, जयपुर, राजस्थान।
02. श्रीमती छोटा पुत्री श्री गोविन्दनारायण, पत्नी श्री कल्याण नारायण शर्मा जाति बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी मकान नम्बर 150 / 6, शिव कॉलोनी किसान मार्ग, बरकत नगर टोंक रोड़, जयपुर, राजस्थान।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

03. श्रीमती ममता पुत्री श्री गोविन्दनारायण, पत्नी श्री मोहनलाल शर्मा जाति बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी बोहरों की ढाणी नांगल पुरोहितान, तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।

04. श्रीमती लाली पुत्री श्री गोविन्दनारायण, पत्नी श्री बाबूलाल शर्मा जाति बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी बोहरों की ढाणी, नांगल पुरोहितान, तहसील आमेर जिला जयपुर, राजस्थान।

05. रमेश पुत्र श्री गोविन्दनारायण,

06. कैलाश पुत्र श्री बोदीलाल,

07. अविनाश पुत्र श्री बोदीलाल,

08. श्रीमती सुरज्ञानी देवी पत्नी श्री बोदीलाल समस्त जाति बागडा ब्राहाम्ण निवासीगण गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर, राजस्थान

09. राकेश कुमार जैन पुत्र श्री आत्माराम जैन, जाति जैन, निवासी 4365, के.जी.बी. का रास्ता जौहरी बाजार, जयपुर।

10. दिनेश झालानी पुत्र प्रभूदयाल झालानी, निवासी प्लॉट नम्बर 58, वशिष्ठ मार्ग वैशाली नगर, जयपुर।

11. जितेन्द्र कुमार पुत्र रामनारायण शर्मा, जाति ब्राहाम्ण निवासी विनायक भवन मुख्य बाजार गोनेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

12. श्रीमती रेखा पत्नी अशोक खण्डेलवाल, जाति महाजन निवासी ए–2703, ओबेरॉय बुड्स गोरेगांव (इस्ट) मुम्बई (महारास्ट्र)

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री गंगाराम शर्मा एडवोकेट अपीलार्थी जितेन्द्र कुमार मिश्रा की ओर से**
2. **श्री सत्यनारायण शर्मा एडवोकेट, अपीलार्थी एस.वी.एम रियल्टी प्रा.लि. की ओर से**
3. **श्री विजय कुमार शर्मा रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 4 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 29.06.2022

अपीलार्थीगण द्वारा यह दोनों अपीलें अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.08.2020 (संशोधित 01.10.2020) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी जितेन्द्र कुमार मिश्रा के अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 9 के पिता बोदीलाल ने अपने जीवनकाल में आराजी खसरा नम्बर 300 रकबा 0.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 301 रकबा 0.21 हैक्टयर, खसरा नम्बर 302 रकबा 0.18 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 304 रकबा 0.86 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.47 हैक्टयर में से 1/3 हिस्से का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.06.2003 को प्रतिफल राशि की एवज में अपीलान्ट को उप पंजीयक के समक्ष उपस्थित होकर कर दिया था जिसका पंजीयन उप

P.T.O.

पंजीयक कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर के यहॉ पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 397 में पुष्ठ संख्या 10 के क्रम संख्या 3010 पर दिनांक 01.07.2003 को पंजीबद्ध किया गया था जिसकी अतिरिक्त प्रति पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1192 के पृष्ठ संख्या 108 से 114 पर चस्पा की गई थी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायम 4 के पिता द्वारा उक्त भूमि का बेचान विधिक रूप से अपीलान्ट को करने के बाद उक्त भूमि का मौके पर कब्जा भी हस्तान्तरित कर दिया था, उक्त भूमि क्रय करने के बाद अपीलान्ट ने अपने हित में उक्त क्रयशुदा भूमि का नामान्तरकरण भी ग्राम पंचायत गोनेर के यहॉ दिनांक 16.01.2004 को तस्दीक करवा लिया था। इस प्रकार अपीलान्ट उक्त भूमि का एकमात्र मालिक स्वामी एवं खातेदार काश्तकार हो गया एवं उक्त भूमि के क्रय के बाद मौके पर अपीलान्ट ने भूमि का कब्जा भी प्राप्त कर लिया।

अपीलार्थी जितेन्द्र कुमार मिश्रा के अधिवक्ता ने कथन किया है कि उक्त समस्त तथ्यों की सम्पूर्ण जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 9 को भली भॉति थी परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 व 6 लगायत 9 ने आपसी मिलीभगत कर उक्त प्रमाणित एवं वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुऐ अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बिना पक्षकार बनाये आपसी मिलीभगत करके न्यायालय को गुमराह करके अपने हित में अपीलाधीन निर्णय एवं आदेश पारित करवा लिया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अपीलार्थी जितेन्द्र कुमार मिश्रा के अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही था चूॅकि उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालस के समक्ष दिनांक 26.11.2019 को प्रस्तुत किया गया था एवं रेस्पोडेन्ट ने आपसी मिलीभगत कर अधीनस्थ न्यायालय से वास्तविक तथ्यों को छिपाकर उक्त प्रकरण में निर्णय दिनांक 11.08.2020 पारित करवाया है तथा कोविड–19 महामारी के कारण माह मार्च 2020 के आखरी सप्ताह से सम्पूर्ण लॉकडाउन लग जाने के कारण अपीलान्ट को ना तो प्रकरण की कोई जानकारी हो सकी और ना ही निर्णय की ही कोई जानकारी हो सकी तथा दिनांक 05.11.2020 को रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को उसकी 17 वर्ष पूर्व से कब्जे काश्त की खरीदशुदा भूमि पर कब्जे काश्त में मजाहमद पैदा करने एवं अपीलान्ट को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने का अनुचित प्रयास करने एवं अपने असामाजिक किस्म के लागों के माध्यम से अपीलान्ट को उसकी क्रयशुदा भूमि से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी दिये जाने पर अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 05.11.2020 को प्राप्त करने पर हुई है तथा अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किये गये है जो उपरोक्त तथ्यों के मद्‌देनजर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाये जावें एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.08.2020 को अपास्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट एस.वी.एम. रियल्टी प्रा.लि. के अधिवक्ता ने कथन किया है कि ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि जिसका विवरण अपील मीमो के साथ संलग्न परिशिष्ठ "अ" में वर्णित खाता संख्या 75, 294, 234, 7, 233, 74, 76 ग्राम गोनेर में हिस्सा 1/2 अंकित है जिसमें गोविन्दनारायण के वारिस बोदीलाल (पुत्र) रमेश (पुत्र) सुन्दरदेवी (पत्नी) की खातेदारी एवं स्वामित्व में है, रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 लगायत 8 के पिता बोदीलाल व सुन्दरदेवी ने अपनी सम्पूर्ण भूमि का बैचान रेस्पोडेन्ट संख्या 8 राकेश जैन पुत्र श्री आत्माराम जैन को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.05.2006 को बैचान कर दिया तथा भूमि का कब्जा मौके पर भौतिक रूप से सौंप दिया तब गोपाल लाल वगैरह ने एक दावा संख्या 70/2008 राजस्व न्यायालय में पेश कर स्टे आर्डर वादग्रस्त भूमि की मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाया।

अपीलान्ट एस.वी.एम. रियल्टी प्रा.लि. के अधिवक्ता ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 9 राकेश कुमार जैन ने मिन अपीलान्ट को वादग्रस्त भूमि जिसे उसने रेस्पोडेन्ट संख्या 5 रमेश व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 8 के पूर्व हक अधिकारी बोदीलाल व सुन्दरीदेवी से क्रय कर खातेदारी अंकन करवाया तथा मौके पर कब्जा लेकर काश्त करवायी उसका बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.05.2008, पंजीयन दिनांक 21.05.2008 को विक्रय राशि 1,99,55,700/–रूपये लेकर उप पंजीयक सांगानेर द्वितीय जयपुर के कार्यालय में निष्पादित एवं पंजीयन कराकर वादग्रस्त भूमि का भौतिक रूप से कब्जा सौंप दिया गया तत्पश्चात् बोदीलाल, रमेश कुमार एवं सुन्दरदेवी ने राकेश जैन व मिन अपीलान्ट के विरूद्ध जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर के न्यायालय में एक दीवानी दावा बाबत निरस्त किय जाने विक्रय पत्र पेश किया जिसे अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 2 जयपुर ने सम्पूर्ण सुनवाई कर अपना निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.10.2019 को पारित कर रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 8 का दीवानी दावा खारिज कर दिया तथा उक्त निर्णय व डिक्री के अनुसार राकेश कुमार जैन के हक में रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 लगायत 8 के पिता बोदीलाल व दादी सुन्दरदेवी द्वारा किया गया विक्रय पत्र दिनांक 21.05.2008 आज भी प्रभावी है जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 को भली प्रकार से थी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 8 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगयत 4 से अपराधिक षडयंत्र रचकर उक्त गोविन्दनारायण का फौती नामान्तरकरण संख्या 165 के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय में झूंठे व असत्य कथनों के आधार पर गुप–चुप तरीक से अपील करवा दी तथा उक्त अपील में मिन अपीलान्ट व राकेश कुमार जैन को पक्षकार ही नही बनाया, ना ही अन्य सहखातेदारों रेस्पोडेन्ट संख्या 10 लगायत 12 को पक्षकार बनाया गया जबकि जमाबन्दी में राकेश कुमार जैन व अन्य सहखातेदारों के नाम खातेदारी का अंकन था तथा मौके पर अपीलान्ट का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है।

अपीलान्ट एस.वी.एम. रियल्टी प्रा.लि. के अधिवक्ता ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सर्वथा

P.T.O.

राजस्व अपील ... जयपुर

मियाद बाहर अपील व गलत तथ्यों पर आधारित अपील प्रस्तुत की थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना वर्तमान राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजात का अवलोकन किये ही अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अवैध एवं गैर कानूनी ढंग से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.08.2020 (संशोधित 01.10.2020) पारित किया है, जो विधि के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरित, असंवैधानिक एवं न्यायसिद्धान्तों के विपरित होने एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील के तथ्यों एवं प्रार्थना पत्रादि के तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियिम एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार फरमाये जावें एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.08.2020 (संशोधित दिनांक 01.10.2020) अवैध एवं निष्प्रभावी होने से खारिज फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित किया गया है कि अपीलाधीन भूमि में से उनके पिता द्वारा कोई भूमि विक्रय हस्तान्तरण नही की गई है और यदि ऐसा कोई विक्रय पत्र है तो वह फर्जी है, अपीलाधीन भूमि उनकी पैतृक भूमि थी जिसमें उनके विरासती अधिकार प्राप्त है, यदि कोई अवैध बैचान गलत विरासत के आधार उनके भाईयों द्वारा किया गया है तो वह उनके हक व अधिकारों तक शून्य है। वैसे भी विरासत के नामान्तरकरण में अपीलान्ट हितबद्ध व्यक्ति नही थे। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने अपनी लिखित बहस में यह भी अंकित किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 स्व. गोविन्दनारायण की पुत्रीयॉ विधिक वारिसान थी जिनका हक व अधिकार भूमि पर विधि अनुसार दर्ज किया जाना आवश्यक था परन्तु विरासती नामान्तरकरण के समय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के नाम नामान्तरकरण नही भरा गया तथा माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सवोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न कानूनी दृष्टान्तों में प्रतिपादित किया है कि बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये यदि कोई नामान्तरकरण दर्ज किया गया है तो उसे किसी भी समय चुनौति दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के हक व अधिकारों के विपरित प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध एवं नल एण्ड बोईड था जिसके लिये कोई समयावधि निश्चित नही है। वैसे भी उक्त तथ्य की जानकारी से अन्दर मियाद अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई दी। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय निर्णय विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने अपनी लिखित बहस में यह भी अंकित किया है कि अपीलान्ट्स का यह कथन कि उनके द्वारा किये गये विक्रय पत्र के सम्बन्ध मे बोदीलाल द्वारा भी कोई वाद प्रस्तुत किया गया था तो वह बोदीलाल के हक व अधिकार के सम्बन्ध में था, उक्त वाद में भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 का हक व अधिकारों के सम्बन्ध में कुछ भी अंकित नही किया गया है। ऐसी स्थित में स्पष्ट है कि उक्त वाद संख्या

P.T.O.

55/21018(100/2010 बोदीलाल बनाम राकेश कुमार) में भी इस विधिक बिन्दू को कही भी उल्लेख नही किया गया कि गोविन्दनारायण के चार पुत्रीयॉ भी थी जिनका भी अपीलाधीन भूमि में हक व अधिकार है, अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 8 द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के हक व अधिकारों का हजफ करने के उद्देश्य से झूॅठे मनगढंत दावे प्रस्तुत किये है ऐसी स्थिति में भी अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने अपनी लिखित बहस में अंकित किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 9 द्वारा अपनी लिखित बहस में यह अंकित किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा उनके हक में मौखिक हक त्याग कर दिया था जबकि जो नामान्तरकरण संख्या 165 दर्ज किया गया है उसमें किसी भी प्रकार से हक त्याग का उल्लेख नही किया गया है। ऐसे में स्पष्ट है कि यदि कोई हक त्याग होता तो रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 7 द्वारा उसे पटवारी हल्का को देकर हक त्याग के आधार पर नामान्तरकरण में उसका उल्लेख किया जाता परन्तु ऐसा नही किया गया जिससे स्पष्ट है कि यदि कोई तथाकथित हक त्याग किया गया है तो फर्जकारी कर कुटरचित दस्तावेज तैयार किये गये है जिसके सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है। ऐसी स्थिति में भी अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है। उन्होने अंकित किया है कि अपीलान्ट्स द्वारा धारा 96 सी.पी.सी. के तहत न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है जबकि जो विरासती नामान्तरकरण है एवं गोविन्दनारायण की विरासत में अपीलान्ट का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट नामान्तरकरण से प्रभावित पक्षकार नही है। ऐसे में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी एवं धारा 5 पूर्णतः कानूनी प्रावधानों के विपरित है साथ ही उसकी अपील में कोई विधिक बिन्दू निहत नही है। ऐसी स्थिति में उसकी अपील भी पूर्णतः विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने अपनी लिखित बहस में यह भी अंकित किया है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार गोविन्दनारायण के प्रावधानों के अनुसार उनकी पुत्रियों का भी हिस्सा भाईयों के अनुसार 4/7 हिस्सा दर्ज किया जाना आवश्यक था परन्तु कानूनी प्रावधानों के विपरित नामान्तरकरण संख्या 165 दर्ज किया गया जिसकी विधि में कोई मान्यता नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानूनी प्रावधानों के अनुसार पारित किया गया है। ऐसे में अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है। अतः रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 4 की ओर से लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये

P.T.O.

विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाते है तथा दोनों अपीले प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है तथा अपीलान्ट एस.वी.एम. रियल्टी प्रा.लि. प्रकरण मे प्रभावित पक्षकार होने से उनका भी प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया गया है, तत्पश्चात् अपीलार्थीगण के नाम उनके द्वारा क्रय की गई आराजी का नामान्तरकरण स्वीकार किये जा चुका है तथा राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थीगण का नाम बदस्तूर काबिज काश्त खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 को होने के उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित नही किया गया जिससे प्रकरण के वास्तविक तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नही आ पाये और अपीलाधीन आदेश पारित हो गया जो निर्णय अपीलार्थीगण के हक, हकूक अधिकारों एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की दोनों अपीलें स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय (सांगानेर) जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.08.2020 एवं संशोधित आदेश दिनांक 01.10.2020 को अपीलार्थीगण की क्रयशुदा आराजी की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय (सांगानेर) जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।